न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

1. जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2956 सन 2026
CNR. No.UPSP 01006963 2026

कपिल चौहान पुत्र रतन सिंह निवासी कस्बा व थाना बागपत जिला बागपत।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

2. जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2930 सन 2026
CNR. No.UPSP 01006964 2026

सुधारस पुत्र समय सिंह निवासी एन्क्लेव कस्बा व थाना बागपत जिला बागपत।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु0अ0सं0–121/2026,
धारा–103(1),238(ए),3(5)बी0एन0एस0
थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

10.07.2026

उपरोक्त दोनो जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0–121/2026 थाना मिर्जापुर सहारनपुर से सम्बन्धित होने के कारण कारण उक्त दोनो जमानत प्रार्थनापत्रो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण **कपिल चौहान एवं सुधारस** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण **दिनांक 02.05.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जमानत प्रार्थानापत्र के साथ अभियुक्त कपिल चौहान की ओर से विकास पुत्र विरेन्द्र का एवं अभियुक्त सुधारस की ओर से हिमांशु चौहान पुत्र गजेन्द्र चौहान के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि शहजाद ग्राम प्रधान रजापुर नौगावा के प्रधान द्वारा दिनांक 27.04.2026 को शाम करीब 18:15 बजे कासमपुर से जसमौर जाने वाले रजवाहे में एक अज्ञात महिला का शव दुतई में लिपटा पडा होने की सूचना दिये जाने पर पुलिस द्वारा मौके पर पहॅुची तथा महिला के शव को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि उसकी किसी अज्ञात द्वारा चाकू से हमला कर हत्या कर शव को छिपाने के उददेश्य से रजवाहे में फेक दिया है।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि उसे इस मामले में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। वाद की मृतका राखी से अभियुक्तगण की कोई रिश्तेदारी अथवा किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है और न ही वह वाद की मृतका राखी को जानते पहचानते है। अभियुक्तगण को मृतका की हत्या करने का कोई कारण नहीं है। अभियुक्त सुधारस को पुलिस द्वारा दिनांक 01.05.2026 को दोपहर के एक बजे उसके घर से उठाकर, इस मामले में उसकी झूठी गिरफतारी दिखाई गयी है। अभियुक्त कपिल को पुलिस द्वारा दिनांक 20.04.2026 को समय करीब 05:35 बजे गिरफतार से उठाकर, इस मामले में उसकी झूठी गिरफतारी दिखाई गयी है। अभियुक्तगण इस मामले में दिनांक 02.05.2026 से कारागार में निरूद्ध

है। अभियुक्तगण को कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधार पर अभियुक्तगण की ओर से उन्हे इस मामले में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

थाना से प्राप्त केस डायरी एवं आख्या का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा शहजाद ग्राम प्रधान रजापुर नौगाव द्वारा थाना मिर्जापुर पर कासमपुर से जसमौर जाने वाले राजबाहे में एक अज्ञात महिला का शव राजवाहे में दुतई में लिपटा पडा होने की सूचना के आधार पर थाना पर यह अभियोग अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–103(1) व 238(ए) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। केस डायरी के अनुसार मृतक के शव का पोस्टमार्टम अज्ञात के रूप में किया गया। पोस्टमार्टम के समय मृत्यु पूर्व चोटो में मृतका की गर्दन तक पर Trachea तक गहरा इन्साईन्ड वून्ड की चोट और उक्त चोट के कारण मृतक की Trachea and Oesophagus कटी होना, मृतक की बाये Breast पर स्टेब वून्ड की चोट, मृतका की छाती पर पीछे की ओर बायी तरफ स्टेब वून्ड की चोट, छाती की बायी तरफ चोट सं0–3 से नीचे स्टेब वून्ड की चोट आना तथा मृतक की मृत्यु का कारण **Died due to Shock and Haemorrhage as a result of antemortem injury and viscera preserved for chemical analysis** होना अंकित है। केस डायरी के पर्चा सं0–4 अनुसार दौरान विवेचना मृतका के परिजनो द्वारा पुलिस द्वारा जारी अज्ञात शव के पम्पलेट को देखकर मृतक की पहचान राखी पुत्री रामनिवास ग्राम खामपुर थाना बडौत बागपत के रूप में की गयी। केस डायरी के पर्चा सं0–2 के अनुसार सी0सी0टी0 फुटेज के आधार पर कथित घटना की रात्रि घटना स्थल के पास सदिग्ध डार्क ग्रे रंग की नैक्सोन कार पंजीयन सं0–यू0पी0–17ए.बी.6989 दिखाई देने व उक्त संदिग्ध कार डा0 कपिल की होने का तथ्य प्रकाश में आना तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर इस मामले में डा0 कपिल व सुधारस का नाम प्रकाश में आना दर्शित किया गया है। केस डायरी के पर्चा सं0–13 में अंकित साक्षी मनिराम द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि वह गौरव राठौर निवासी देहरादून के फार्म हाउस की देख रेख करता है। डा0 कपिल का फार्म हाउस व मेडिकल स्टोर उनके क्षेत्र में होने के कारण उसकी डा0 कपिल से जान पहचान होने दिनांक 25.04.2026 को डा0 कपिल व उसके दोस्त सुधारस को अपनी एक महिला मित्र, जिसे डा0 कपिल व सुधारस राखी के नाम से पुकार रहे थे, के साथ टाटा नैक्सोन गाडी पंजीयन सं0–यू0पी0–17ए.बी. 6989 से उनके फार्म हाउस पर आने के बाद स्वॅय के द्वारा उन्हे फार्म हाउस की चाबी देकर आ जाने व दिनांक 27.04.2026 को अखबार एवं सोशन मिडिया पर रजापुर नौगावा में दौतई में लिपटी हुए एक महिला की लाश पडी होने की फोटो देखने व मृतका की लाश जिस दौताई में लिपटी मिली है, उक्त दौताई उसकी फार्म हाउस की होने का कथन किया है। केस डायरी के पर्चा सं0–6 के अनुसार दौरान विवेचना अभियुक्तगण कपिल व सुधारस को गिरफतार किये जाने पर अभियुक्त सुधारस द्वारा अपने बयान में सह अभियुक्त कपिल से उसकी मित्रता होने, मृतका राखी का उसके मौहल्ले में रहने वाले डूडा अधिकारी विक्रान्त से सम्बन्ध होने, विक्रान्त के घर आने जाने से के कारण स्वॅय मृतका राखी सम्बन्ध स्थापित होने, मृतका राखी द्वारा उसे अपने घर बुलाकर उसके एक दूसरी लडकी से सम्बन्ध बनवाने और राखी द्वारा इसकी विडियो बना कर उससे बीस पच्चीस लाख रूपये वसूलने, मृतका राखी कहे अनुसार मृतका राखी के साथ मिलकर विक्रान्त की गोली मारकर हत्या करने, उक्त विक्रान्त की पत्नी द्वारा राखी पर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराये जाने पर, राखी के पकडे जाने पर विक्रान्त की हत्या में उसका नाम आने के डर से सह अभियुक्त कपिल के साथ मिलकर राखी की चाकू व हथौडे से वार कर हत्या कारित किये जाने का कथन किया है। केस डायरी के अनुसार अभियुक्तगण की निशानदेही पर आला कत्ल एक चाकू व

एक हथौडा बरामद होना दर्शित है। अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 की ओर से तर्क किया गया है कि विवेचक द्वारा केस डायरी पर अंकित साक्ष्य के अवलोकन से आवेदक/अभियुक्तगण की कथित घटना में प्रथम दृष्टया संलिप्तता दर्शित है। आवेद/अभियुक्तगण द्वारा कथित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले की विवेचना प्रचलित है। अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने की स्थिति में उसके फरार होने तथा उसके द्वारा साक्ष्य प्रभावित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियो एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए , मामले के गुण दोष पर बिना कोई विचार किये प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **सुधारस एवं कपिल चौहान** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाते है।

इस आदेश की प्रति जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2930/2026 के साथ रखी जाये।

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश,सहारनपुर।
I.D.UP-1891

दिनांक 10.07.2026